रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1992] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/आश्विन 4, 1936
No. 1992] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ. 2521 (अ).----केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 3 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 574 के अधिक्रमण में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके तहत संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा :—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
रजिस्ट्रार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के, या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत स्थान और जो भारत संघ की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कहीं भी हो, इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हो ।

[फा. सं.-7-22/2014-टीएस. I]

अमरजीत सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2521 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development number S.O. 574, dated the 3rd February, 2004, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being the officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Registrar, Indian Institute of Technology, Roorkee.	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by, or on behalf of the Indian Institute of Technology, Roorkee, and which are under its administrative control, anywhere within the geographical limits of the Union of India.

[F. No. 7-22/2014-TS. I]

AMARJEET SINHA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054